Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 6, Nov-Dec – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 01/12/2020 **Accepted on : 17/12/2020** **Publication Date: 30/12/2020**

स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता

संत कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) ज्योति कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत .

EMAIL ID : santkumarrajput80@gmail.com

प्रस्तावना :

शिक्षा व्यक्ति के विकास में सहायक है। इसलिए राज्य, विद्यालय व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि बालकों के मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । मनुष्य समाज में ही रह कर अपने जीवन का विकास करताहै। तथा समाज का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को विकसित होने की सारी सुविधाएं जुटाए । और मनुष्य के शिक्षा का विकास में सहयोग दें।शिक्षा एक ऐसा माध्यम व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी न आने दें।

वर्तमान में शिक्षा का समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का प्रमुख साधन है । शिक्षा के अभाव में व्यक्ति किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता है । शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान होता है। और समाज की भलाई के लिए व्यक्ति उनका उपयोग करता है । अतः आवश्यक है कि मानवाधिकारों की शिक्षा प्रारंभ में विद्यार्थियों को दी जाए।

प्रत्येक वर्ष प्रारंभ से ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो । एक का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। अतः प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने से निश्चित रूप से उनके ज्ञान .संस्कार एवं चरित्र का भाग बन जाएगा तथा आने वाली अगली कक्षाओं में इसके प्रति जागरूकता हो जाएगी । मानवाधिकारों के विषय में जानकारी केवल अध्यापकों को ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को भी समान रूप से प्रदान की जाए जिससे वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक बन सकें।

10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को घोषित किया गया । इसके बाद सभा के सभी सदस्यों से कहा गया कि इस घोषणा का प्रचार-प्रसार बिना भेदभाव के सभी विद्यालयों व अन्य शिक्षा संस्थानों में ना सिर्फ मनुष्य जाति के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया बल्कि स्त्री पुरुषों को भी समान अधिकार दिए गए।

भारत में मानव अधिकार कानून:

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पर सार्वजनिक घोषणा 1948 की पहल के साथ हुई कई देशों ने वैधानिक कानून के अंतर्गत मानवाधिकारों को लागू करने प बल दिया । मानवाधिकार कानून की संस्थागत व्यवस्था अपनाने वालों देशों में विश्व में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।

संविधान में मानवाधिकार कानून:

विधान द्वारा लागू किए गए कानून ही संवैधानिक कानून कहलाते हैं । भारत के संविधान में लोगों के मौलिक मानवाधिकार के विभिन्न प्रावधान सुनिश्चित किए गए जिससे सामाजिक आर्थिक ,न्याय के साथ साथ समाज के कमजोर वंचित वर्ग का कल्याण हो।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानवाधिकार को संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई।

मानवाधिकार की परिभाषा " "मानवाधिकार मनुष्य के मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार है जिससे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है।"

स्नातक: महाविद्यालय में संस्थागत 3 वर्षीय स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्र में अध्ययनरत छात्र- छात्रा

जागरूकता: विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के बारे में ज्ञान का स्तर मानवाधिकारों के प्रति जानकारी के साथ-साथ संबंधित वस्तुसे उचित व्यवहार है,

संबंधित साहित्य:

- लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान मंसूरी 2001 ने त्रिपुरा के आदिवासी तथा बंगाली लोगों के बीच विवाद को समझाने के लिए शोध किया,
- तेजप्रताप सिंह शोध 2000 -03 ने अपने लघु शोध मानवाधिकारों की रक्षा गांधी दर्शन की उपादेयता का अध्ययन किया,
- उमेंद्रसिंह शोध 2005 नागपुर विश्वविद्यालय ने अपने शोधप्रबंध में 21वीं शताब्दी में भारत में मानवाधिकारों की प्रगति के स्तर का विश्लेषण किया,

अवलोकन:

जब हम विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करते हैं तो हमें विद्यार्थियों के शैक्षिक वातावरण, परिस्थितियों पर ध्यान देना पड़ता है। केवल विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जानकारी से संबंधित समस्या का हल नहीं हो सकता हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि यह जानने का प्रयास किया जाए कि विद्यार्थी किन-किन परिस्थितियों व कठिनाइयों के प्रति स्वयं को असहज महसूस करते हैं ताकि शिक्षा विद्यार्थियों का बोझ ना बने और विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बने।

उपरोक्त अध्ययनों से यह पता चलता है कि स्नातक विद्यार्थियों में मानवाधिका के प्रति समान जागरूकता है।

उद्देश्य:

- स्नातकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन।
- विज्ञान ,कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर का अध्ययन।

परिकल्पना:

- छात्र –छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- विज्ञान ,कला ,वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमन:

- अध्ययन हेतु स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला ,वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों का चयन किया गया।
- चयनित क्षेत्र में प्रवेश विद्यार्थियों का न्यादर्श में शामिल किया गया है।
- चयनित विद्यार्थियों में से 60 छात्र तथा 60 छात्राओं को लिया गया है।
- अध्ययन हेतु चयनित विद्यार्थियों में से 40 ,40 ,40 विद्यार्थियो को विज्ञान कला वाणिज्य के चुने गए हैं।

जनसंख्या: स्नातक स्तर के विज्ञान, कला तथा वाणिज्य वर्ग के समस्त संस्थागत विद्यार्थी यह शोध हेतु जनसंख्या है।

न्यादर्श **चयन**: -इस शोध पत्र में बरेली कॉलेज बरेली के समस्त संस्थागत विद्यार्थियों में से 60 छात्र तथा 60 छात्राओं को न्यादर्श के रूप में चुना गया।

इस शोध पत्र में 40 विज्ञान 40 कला तथा 40 वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों को चुना गया।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण:

अध्ययन में मानवाधिकार विशाल सूद एवं आरती आनंद द्वारा विकसित एवं प्रमाणित किया है। इसमें 50 कथन है जो मानवाधिकार को तीन विमानों में विभाजित हैं-

- मानवाधिकार के अभिलेखों का ज्ञान।
- मानवाधिकार के प्रत्यय को समझना।
- 3- मानवाधिकारों के हनन तथा ,उत्थान की स्थिति को समझना।

सांख्यिकी प्रविधियां:

1-मध्यमान 2 –मानक विचलन 3 – टी परीक्षण-

आयाम	छात्र		छात्राएं		टी मान	सार्थकता स्तर
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
1 मानवाधिकार के अभिलेखों का ज्ञान	9.55	2.76	9.1	3.00	0.61	सार्थक नहीं है।
2 मानवाधिकार के प्रत्यय को समझना	18.75	3.16	18.9	5.07	0.82	सार्थक नहीं है।
3 मानवाधिकारों के हनन तथा,उत्थान की स्थिति को समझना	32.95	10.96	33.95	4.85	0.71	सार्थक नहीं है।
योग	61.10	12.16	61.95	10.24	0.81	सार्थक नहीं है।

प्रदत्त व्याख्या:

सर्वेक्षण में उपलब्ध अ करों को निम्न तालिकाओं में विश्लेषित किया गया है-

तालिका संख्या 1 कला वर्ग

इस आधार पर कहा जा सकता है कि स्नातक स्तर कला वर्ग में छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः पहली परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका संख्या **1.1** वाणिज्य वर्ग

आयाम	छात्र		छात्राएं		टी मान	सार्थकता स्तर
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
1 मानवाधिकार के अभिलेखों का ज्ञान	8.10	2.48	8.75	3.09	0.64	सार्थक नहीं है।
2 मानवाधिकार के प्रत्यय को समझना	15.45	4.14	18.55	5.34	0.04	सार्थक नहीं है।
3 मानवाधिकारों के हनन तथा, उत्थान की स्थिति को समझना	28.55	5.33	35.35	9.96	0.01	सार्थक नहीं है।
योग	52.05	8.51	63.65	14.99	0.10	सार्थक नहीं है।

अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि स्नातक स्तर पर वाणिज्य वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकृति की जाती है।

तालिका संख्या **1.2** विज्ञान वर्ग

आयाम	छात्र		छात्राएं		टी मान	सार्थकता स्तर
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
1 मानवाधिकार के अभिलेखों का ज्ञान	7.2	2.68	8.75	3.12	0.10	सार्थक नहीं है।
2 मानवाधिकार के प्रत्यय को समझना	18.65	5.85	17.15	6.01	1.49	सार्थक नहीं है।
3 मानवाधिकारों के हनन तथा, उत्थान की स्थिति को समझना	31.2	7.04	34.3	8.49	0.21	सार्थक नहीं है।
योग	57.05	11.15	60.15	14.08	0.44	सार्थक नहीं है।

अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि स्नातक स्तर विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

तालिका संख्या 1.3 विज्ञान,कला, वाणिज्य वर्ग

आयाम	मध्यमान	मानक विचलन
1 मानवाधिकार के अभिलेखों का ज्ञान	8.57	2.89
2 मानवाधिकार के प्रत्यय को समझना	19.06	13.76
3 मानवाधिकारों के हनन तथा, उत्थान की स्थिति को समझना	32.71	8.24
योग	59.15	12.36

इस आधार पर तालिका संख्या 4 में विज्ञानवर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग,के छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रतिजागरूकता का मध्यमान एवं मानक विचलन का पता चलता है।

तालिका संख्या 1.4 विज्ञानवर्ग, कलावर्ग, वाणिज्य वर्ग,

आयाम	छात्र		छात्राएं		टी मान	सार्थकता स्तर
1 मानवाधिकार के अभिलेखों का ज्ञान	8.28	2.74	8.86	3.02	0.27	सार्थक नहीं है।
2 मानवाधिकार के प्रत्यय को समझना	19.93	4.70	18.20	5.45	0.03	सार्थक नहीं है।
3 मानवाधिकारों के हनन तथा,उत्थान की स्थिति को समझना	30.9	8.18	34.53	7.94	1.00	सार्थक नहीं है।
योग	56.73	11.18	61.58	13.08	0.03	सार्थक नहीं है।

अतः सांख्यिकीय आधार पर यह कहा जा सकता है कि विज्ञान, कला,वाणिज्य वर्ग के छात्रा एवं छात्राओं में मानवाधिकारों के जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।अतः परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष विवेचना:

1 - मानवाधिकारों के प्रति स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
इसका कारण यह है कि आज के समाज में छात्र-छात्राओं को एक समान शिक्षा का परिवारिक वातावरण मिलता है, तथा समाचारों पत्रों, इंटरनेट, विज्ञापनों आदि से मिलने वाली जानकारियाँ भी छात्र-छात्राओं को एक समान प्राप्त होती हैं।
2--मानवाधिकारों के प्रति। विज्ञान, कला, वाणिज्य वर्गों के छात्र-छात्राओं के जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि आजकल समाज में स्नातक विषय वर्गो को समान शिक्षा, तथा परिवारिक वातावरण मिलता है। इन्हें समाचारपत्रों ,इंटरनेट, मीडिया टेलीविजन आदि से मिलने वाली जानकरियां भी विषय वर्गो को समान रुप से अवसर प्राप्त होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. गुप्त, कैलाशनाथ–मानवाधिकार और उनकी रक्षा ।
2. चौबे,एस.पी.-शिक्षा के समाजशास्त्री प्रधम आधार,आगरा-7 अग्रवाल पब्लिकेशन ।
3. बुच,एम.बी.-(1978,83), तृतीय सर्वे आफ रिसर्च 2005 ,एम.एस. यूनिवर्सिटी वडौदा,साइकोलाजी ।
4. सारस्वत, अक्षेन्द्रनाथ- सामाजिक न्याय व पुलिस, प्रथम संस्करण ।
5. भटनागर,आर. पी.–शिक्षा अनुसंधान मेरठ, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हरारे ।
6. गैरेट,एच. ओ.–शिक्षा और मनोविज्ञान में संख्यिकी मेरठ कल्याणी प्रकाशन।
7. मीणा, जगदीश प्रसाद–मानवाधिकार नई दिशायें, वार्षिक पत्रिका नई दिल्ली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ।